फैक्स/तत्काल

संख्या- 12/2015/5271 /9-1-2015-02बजट/2015

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर,2015

विषयः- माघ मेला, इलाहाबाद, 2016 की व्यवस्था हेतु बजट की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-459/पन्द्रह-मा0मे0 (2015-16) दिनांक 10.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माघ मेला, इलाहाबाद, 2016 की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0-28,00,00,000/- (रूपये अठ्ठाईस करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष उतनी ही धनराशि अवमुक्त किये जाने का श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्ययोजना बनाकर माघ मेला का आयोजन सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी और न ही स्वीकृति धनराशि से अतिरिक्त व्यय करके दायित्व सृजित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-37 के लेखा शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-094-अन्य स्थापनायें-03-माघ मेला अधिष्ठान-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 12 /2015/5271(1)/9-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।